यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

ठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
जस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 89/2021
CMS No. : 2021/140

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादी :–

. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. टीकाराम पुत्र धीसाराम
कौम– सीरवी, निवासी– लिलाम्बा,
तहसील– रायपुर जिला–पाली राज0।
2. बंशीलाल पुत्र शिवराम
जाति– कुमावत, निवासी– समौखी हाल
निवासी– निमाज, तहसील– जैतारण,
जिला– पाली(राज0)

ाजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू :– 26.06.2021

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 25/07/2022

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल **खसरा नम्बर 846/12 रकबा 02–00 बीघा किस्म चाही चारम मौजा निमाज** में स्थित है। उक्त आराजी का वादी भूमिधारी(लैण्ड होल्डर) है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 ने जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर **आवासीय कॉलोनी काटकर** खुर्द बुर्द कर रहें है। जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है। प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करनें व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिये बिनाय मुखासमत दिनांक 08.06.2021 को पैदा हुआ जब भू अभिलेख निरिक्षक ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र से अवैध रूप से **अकृषि (आवासीय कॉलोनी काटकर)** कार्य करनें की ... जरिये रिपोर्ट दी। इस वादपत्र को सुनने का हक अदालत को धारा ... 1955 के तहत है। अतः वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन हैः– (क) ... बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

र्गत धारा 1 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करें। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 र.टी.एक्ट. के तहत दिलाई जावें।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को रिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 को बार बार आवाजे दिलाई गई वजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तिवादी संख्या 02 द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो कि सामिल मिसल है। तिवादी संख्या 02 ने जवाबदावा पेश करते हुये कथन किया है कि वादपत्र के पद ख्या एक में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि अवश्य आई हुई है। जिसमें जवाब देहन्दा ातेदार काश्तकार है, जो सही व सत्य है। वादपत्र के पद संख्या दो का जवाब है कि ादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में जवाब देहन्दागण किसी प्रकार से क्का निर्माण नहीं कर रहे है तथा अकृषि कार्य के रूप में इसका उपयोग उपभोग नहीं रके काश्त के रूप में ही कार्य कर रहे है तथा वर्तमान में जवाब देहन्दागण की कृषि ूमि खाली पड़ी है तथा जवाब देहन्दा ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व ेनेन्सी की शर्तो का उल्लघंन नहीं किया है तथा भूमि का किसी प्रकार से किस्म रिवर्तन नहीं किया है। इस कारण से भी उक्त वादपत्र काबिल खारिज के होने से ब्रारिज फरमावें। वादपत्र के पद संख्या तीन का जवाब है कि जवाब देहन्दागण ने ेनेन्सी एक्त की शर्तो का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं किया है कि न ही कृषि ो गैरकृषि के रूप में उपरोक्त भूमि का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। इसलिये भी जवाब देहन्दागण को बेदखल किया जाना कतई न्यायौचित नहीं है तथा न ही स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना न्यायौचित है। वादपत्र के पद संख्या चार बिनाय वाद बाबत् है वादी का जवाब देहन्दागण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई बिनाय वाद पैदा नहीं होता है केवल वादपत्र प्रस्तुत करनें की गरज से झूठी बिनाय वाद की तारीख अंकित की है। बिनाय वाद के अभाव में भी वादी का वादपत्र पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमावें। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

भू अभिलेख निरिक्षक निमाज द्वारा फर्द मौका मय नजरी नक्शा रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो सामिल मिसल कि गई। भू अभिलेख निरीक्षक निमाज ने फर्द मौका रिपोर्ट में कथन किया है कि माफिक राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 846/12 रकबा 0.3237 हैक्टैयर किस्म चाही चारम में खातेदार बंशीलाल पुत्र शिवराम हिस्सा पूर्ण जाति कुमावत सा. समौखी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी में वर्तमान में प्लॉटिंग नहीं हो रखी है। मौके पर उक्त भूमि खाली पड़ी है। उक्त भूमि में प्लॉटिंग कर आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रखी है।

पत्रावली ,मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही, भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा हस्तगत दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण जो वादग्रस्त आराजी मौजा निमाज प्रथम की खसरा नम्बर 846/12 कुल रकबा 2–00 बीघा किस्म चाही चारम जो कि कृषि भूमि है, के अभिलिखित खातेदार है द्वारा वादग्रस्त आराजी का बिना विधिक प्रक्रिया आवासीय कॉलोनी काटकर खुर्द बुर्द कर रहे हैं तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

न्सी शर्तो को भंग कर हानिप्रद कार्य कर रहें। अतः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी बेदखल किया जावें तथा इन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें, की वे वादग्रस्त राजी को खुर्द बुर्द नहीं करें।

प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय र्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार तेवादीगण जो कि वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। जवाबदेहन्दा किसी कार से पक्का निर्माण नही कर रहे है तथा अकृषि कार्य के रूप में इसका उपयोग पभोग नही करके काश्त के रूप में ही कार्य कर रहे है तथा वर्तमान में जवाब देहन्दा ा कृषि भूमि खाली पड़ी है। तथा जवाब देहन्दा ने राजस्थान काश्तकारी कानून के वधानो व टीनेन्सी की शर्तो की उल्लघंन नही किया है तथा भूमि का किसी प्रकार से कस्म परिवर्तन नही किया है। इसलिए वादी का वादपत्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय ही होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे।

. वादपत्र के साथ प्रस्तुत पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक निमाज प्रथम की मौका र्द रिपोर्ट दिनांक 08.06.2021 के अनुसार खातेदार टीकाराम पुत्र घीसाराम कौम ोरवी सा. लिलाम्बा खातेदार दर्ज है। खातेदार ने अन्य पड़ौसी खातेदारो के साथ मलकर ''केशरिया नगर'' आवासीय कॉलोनी तैयार करने का कार्य किया है। राष्ट्रीय ाजमार्ग 112 पर सड़क से पश्चिम की तरफ दीवार पर ''केशरिया नगर'' लिखकर ृषि भूमि का अकृषि उपयोग आंरभ कर दिया है। प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र नेमाज से अद्यतन मौका रिपोर्ट ली गई। भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 14.06.2022 के अनुसार खसरा संख्या 846/12 रकबा 0.3287 हैक्टर किस्म चाही चारम में खातेदार बंशीलाल पुत्र शिवराम हिस्सा पूर्ण जाति कुमावत सा. समौखी खातेदार दर्ज है। नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए, बी, सी, डी में वर्तमान में प्लॉटिंग नहीं हो रखी है। मौके पर उक्त भूमि खाली पड़ी है। उक्त भूमि में प्लॉटिंग कर आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रखी है।

4. वादग्रस्त आराजी की भू अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी निमाज प्रथम द्वारा दिनांक 14.06.2022 को वादग्रस्त आराजी की मौके पर तैयार मौका रिपोर्ट एवं मौके के फोटोग्राफस के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वर्तमान में खाली पड़ी है। खसरा संख्या 846/12 रकबा 0.3237 हैक्टर में प्लॉटिंग के पीलर(पत्थर) इत्यादि नहीं लगा रखे है। मौके के फोटोग्राफस के अनुसार भी वादग्रस्त आराजी मौके पर खाली दिखाई दे रही है

5. वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2077 के अनुसार प्रतिवादीगण बंशीलाल पुत्र शिवराम हिस्सा पूर्ण जाति कुमावत सा. समौखी वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है।

6. ***धारा 177 अहितकर कार्य या शर्त-भंग के लिए बेदखली*** –(1) भू धारक के आवेदन पर अभिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा –

(क) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर जो भूमि के लिए अहितकर हो या जिस प्रायोजन के लिए भूमि दी गई थी, उससे अंतर्गत हो, या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhakkaram Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:14 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

) इस आधार पर कि उसनें या उससे धारण करनें वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त ा की है। जिसके भंग करनें पर वह विशेष संविदा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के तेकूल नहीं हैं, के अनुसार बेदखली का दायी होः

न्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस धारा अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजस्थान ाश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत केवल खातेदार द्वारा किये गये ऐसे ार्य जो उसकी कृषि भूमि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हो या ऐसा कार्य जो ृमि प्रयोजन के विपरीत हो, कि दशा मे ही बेदखली की जा सकती है।

, वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि खातेदार द्वारा पूर्व में दीवार र "केशरिया नगर" आवासीय कॉलोनी लिखकर प्लॉटिंग कार्य करने की कोशिश की ाई थी लेकिन भू अभिलेख निरीक्षक निमाज की फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त ाराजी की किस्म परिवर्तन हेतू किसी प्रकार का अकृषि कार्य दृष्टिगोचर नही होता है। वं वादपत्र के साथ प्रस्तुत भू अभिलेख से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जिसका कुल कबा 0.3237 हैक्टर जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 बंशीलाल पुत्र शिवराम खातेदार दर्ज है ससे स्पष्ट है कि भूमि का रकबा भी अप्रत्याशित रूप से कम होकर वर्ग फीट या र्गगज के रूप दर्ज नहीं हुआ है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त आराजी ा प्लॉटिंग आदि कर अकृषि कार्य के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यह भी संभव है कि खातेदारान् द्वारा प्रकरण दर्ज होने के पश्चात वादग्रस्त आराजी को मौके पर मूल स्वरूप में बहाल कर दिया गया। जैसा कि अद्यतन मौका रिपोर्ट एवं मौके के फोटोग्राफ से स्पष्ट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 178(2) काश्तकार को विकल्प/अवसर प्रदान करने का प्रावधान करती है। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या फोटोग्राफस प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विश्वास करनें का पर्याप्त कारण हो कि खातेदारान् मौके पर किसी रूप में अकृषि प्रयोजन सिद्ध किया जा रहा है। अतः हस्तगत वादपत्र बखूबी साबित नहीं होने तथा खातेदारान् द्वारा काश्तकारी शर्तो का उल्लंघन किया जाना साबित नहीं होने के कारण खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पृथक से डिक्री पर्चा जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/08/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण, जिला-पाली

(जिला–पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालतः–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
ईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीया :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. टीकाराम पुत्र घीसाराम कौम– सीरवी, निवासी– लिलाम्बा, तहसील– रायपुर जिला–पाली राज0। 2. बंशीलाल पुत्र शिवराम जाति– कुमावत, निवासी– समौखी हाल निवासी– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज0)

जस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत **मु0न0:रा0वा0स0: 89/2021**
रा 177 राजस्थान काश्तकारी
धिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व जरी श्री सरकारी पैरोकार, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, तिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी अंतर्गत ारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित नहीं होनें एवं ारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर ंख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व ाहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/08/2022 को सर–ए–इजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण, जिला पाली

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	01	–00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	01	–00
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	–Nil–		मिजानः–	02	–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो मुकदमें में ... जावे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:39:14 IST
Reason: SelfAttested